(13)	
5. Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Cochin	—Member
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—	
1. Joint Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	—Chairman
2. Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	—Member
3. Fisheries Development Commissioner, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	—Member
4. Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Cochin	—Member

[F. No. 3-7/2009-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 84.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान (आशुलिपिक श्रेणी-3) समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बेंगलौर में आशुलिपिक श्रेणी-2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बेंगलौर, आशुलिपिक श्रेणी-2, समूह "ग" भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हता आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-2	01* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष की जा सकेगी ।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य,	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(8)
(ii) कुशलता परीक्षण सन्नियम – श्रुतलेख : 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर दस मिनट प्रतिलेखन : कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) या 65 मिनट (हिंदी) **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अथ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, जो– (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं और (ख) स्तंभ (8) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बेंगलौर —अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (सिविल इंजीनियरी), केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बेंगलौर —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बेंगलौर —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 4-12/2010-मत्स्य, प्रशासन]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd February, 2011

G. S. R. 84.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Stenographer III) Group 'C' post Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Gr. II, in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, Stenographer Gr. II, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Steno-grapher Grade II	01* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1 Rs.5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

(7)
Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class pass from a recognised Board or equivalent (ii) Skill Test Norm,— Dictation : 10 minutes at the rate of eighty words per minute. Transcription : 50 minutes (English) or 65 mintues (Hindi) on computer. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experiences are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment. **Note.—**Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government.— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column number 8.	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Chairman 2. Deputy Director (Civil Engineering), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member 3. Adminstrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member	Not applicable.

[F. No. 4-12/2010-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

धनबाद, 24 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 85.—कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 181 के उप-विनियम (3) तथा तेल खान विनियम, 1984 के विनियम 75 के उप-विनियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजपत्र के भाग II के खण्ड 3 के उप-खण्ड (i), सा.का.नि. 9, में दिनांक 25 जनवरी, 2009 को प्रकाशित पूर्व के राजपत्र अधिसूचना सं. 31 का अधिक्रमण करते हुए मैं, मुख्य खान निरीक्षक जिन्हें खान सुरक्षा महानिदेशक के पदनाम से भी पदनामित किया गया है, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि सभी भूमिगत तथा तेल एवं गैस के खानों/क्षेत्रों में व्यवहृत सभी प्रकार के प्रकाश, प्रकाशन व्यवस्था एवं प्रणाली, प्रकाश संकेतक या संकेत प्रकाश मेरे द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश के तहत अनुमोदित प्रकार, मानक तथा बनावट युक्त होगा ।

[क्र. सं. वि. एवं क. (मु.)/179]

सतीश पुरी, खान सुरक्षा महानिदेशक